न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/2004 (75 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2004/00006

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र बुद्धा (मृतक)
1/1. प्रेम सिंह
1/2. करन सिंह } पुत्रान स्व0 रामजीलाल जाति जाटव निवासी लाल दरवाजा कस्बा बयाना
1/3. कपूरचन्द } जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर,भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.02 विरूद्ध आदेश अध्यक्ष आवंटन कमेटी, बयाना कैम्प शेरगढ प्रकरण संख्या 02.02.97।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक– 25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, आदेश अध्यक्ष पट्टा कमेटी बयाना कैम्प शेरगढ दिनांक 29.06.2002 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना को इस आशय की पेश की गयी कि संवत 2054 में अप्रार्थी/अपीलाण्ट श्री रामजीलाल पुत्र बुद्धा जाति जाटव निवासी कस्बा बयाना ने आराजी खसरा नम्बर 01 मिन रकवा 03 बीघा वाके ग्राम चहल में अतिक्रमण कर फसल चरी, बाजरा कर ली है। इस पर मुकदमा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ

न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जवाब नोटिस में अंकित किया कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट का कब्जा संवत 2014 से पूर्व का है एवं अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भरतपुर ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अप्रार्थी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी का अस्थाई आवंटन हेतु प्राथमिकता दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना ने उक्त प्रकरण वास्ते अस्थाई आंवटन, उप जिला कलक्टर, बयाना को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। कार्यालय जिला अभिलेखागार कलैक्ट्रेट, भरतपुर के पत्र क्रंमाक 22 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पूर्ण तलफ किया जाना अवगत कराया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पूर्ण तलफ हो चुकी है। अतः पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के बिना ही वास्ते बहस हेतु नियत की जाकर, बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर एक मात्र अपीलाण्ट का कब्जा है जो केवल अस्थायी काश्त हेतु एलोट होनी थी एवं उक्त भूमि पर किसी ओर व्यक्ति का क्लेम नहीं था। अपीलाण्ट एक अनुसूचित जाति का भूमिहीन किसान की तारीफ में आता है तथा उसका हक एलोट कराने के लिये उचित था परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की सिफारिश पर भी कोई ध्यान ना देते हुये स्वतंत्र रूप से अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की आम सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी की किस्म खातली दर्ज होने के कारण, विवादित आराजी का स्थाई आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध नायब तहसीलदार बयाना की आदेशिका दिनांक 24.11.1997 के अवलोकन से जाहिर है कि हल्का पटवारी द्वारा एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार बयाना को अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 01 मिन रकवा 03 बीघा पर अतिक्रमण करने की पेश करते हुये, धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अमल में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लायी गयी। इस पर नायब तहसीलदार ने विवादित आराजी पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट का कब्जा संवत 2014 से पूर्व का माना जाकर एवं अतिरिक्त जिलाधीश भरतपुर के निर्णय में अप्रार्थी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी का अस्थाई आवंटन हेतु प्राथमिकता दिये जाने की अनुशंषा के आधार पर प्रकरण आवंटन सहालकार समिति को प्रतिप्रेषित किया एवं आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा उक्त प्रकरण अपीलाधीन आदेश से खारिज किया गया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पूर्ण तलफ हो चुकी है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत, साक्ष्य अवलोकनार्थ उपलब्ध नही है। उक्त तथ्य की पुष्टि, जिला अभिलेखागार, भरतपुर के पत्र क्रंमाक 22 दिनांक 08.03.2018 से पूर्ण पत्रावली तलफ किये जाने की रिपोर्ट एवं आदेशिका दिनांक 07.05.2018 से होती है। यहॉ विचारणीय है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति पुनः विचाराधीन अपील में प्रस्तुत कर सकते थे। परन्तु उनके द्वारा हस्तगत अपील में अपने तर्को के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विवादित भूमि कि किस्म खातली दर्ज होना अंकित किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन) नियम 1970 के नियम 20 में अतिक्रमी को बेदखली के स्थान पर नियमन/आवंटन का प्रावधान अवश्य है परन्तु यह बाध्यकारी नही है। उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर नियमन करने अथवा ना करने का निर्णय लेना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी ने गुणावगुण की समुचित विवेचना कर आवण्टन सलाहकार समिति की सलाह अनुसार नायब तहसीलदार की अनुशंषा को निरस्त किया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2002 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर